कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 150/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 19.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 19.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना– कोतवाली, जनपद– आजमगढ़
मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 01 अभियुक्त गिरफ्तार
किशोरी के साथ अशोभनीय हरकत/छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार
मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस की त्वरित कार्रवाई, ज्योति निकेतन तिराहे से गिरफ्तारी

पूर्व की घटना/इतिहास–
दिनांक 18.04.2026 को थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 172/2026 धारा 75(1) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत एक किशोरी के साथ अशोभनीय हरकत किए जाने की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला एवं बाल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।
गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–
अभियुक्त की तलाश के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19.04.2026 को समय लगभग 11:00 बजे अभियुक्त आसिफ पुत्र सद्दार खान निवासी पठान टोली, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को ज्योति निकेतन तिराहे के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–
आसिफ पुत्र सद्दार खान निवासी पठान टोली, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0 172/2026 धारा 75(1) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली टीम–
म0उ0नि0 शशि सिंह, हे0का0 धर्मेन्द्र चौधरी, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

थाना– मुबारकपुर, जनपद– आजमगढ़
जानलेवा हमला करने वाले 01 अभियुक्त व 02 बाल अपचारी गिरफ्तार/पुलिस अभिरक्षा में, चाकू बरामद
वाहन साइड करने की बात पर गाली-गलौज व जातिसूचक शब्दों के साथ जानलेवा हमला करने का आरोपी गिरफ्तार
घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद, दो बाल अपचारियों को भी पुलिस ने लिया संरक्षण में
पूर्व की घटना–
दिनांक 16.04.2026 को ग्राम टेकनगाढ़ा निवासी शिवप्रसाद के पुत्र अजीत कुमार के साथ ओझौली पुल के पास नकूल जायसवाल की दुकान के सामने वाहन साइड करने की बात को लेकर आरोपीगण द्वारा गाली-गलौज, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया तथा विरोध करने पर एक राय होकर अजीत कुमार के पेट में जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 145/26 धारा 3(5), 109(1), 352, 351(3) BNS व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2) SC/ST Act पंजीकृत किया गया था।
गिरफ्तारी का विवरण–
दिनांक 19.04.2026 को थाना मुबारकपुर पुलिस टीम द्वारा दरियाबाद पुल के पास से अभियुक्त सोनू निषाद पुत्र सुनील निषाद निवासी ओझौली थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ सहित दो नफर बाल अपचारियों को समय लगभग 01:18

बजे पकड़ लिया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद हुआ, जिसके आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

बरामदगी–

चाकू (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त/ पुलिस संरक्षण बाल अपचारी–

1. सोनू निषाद पुत्र सुनील निषाद निवासी ओझौली थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. दो नफर बाल अपचारी (अपचारी विधि अनुसार संरक्षण में)

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 145/26 धारा 3(5), 109(1), 352, 351(3) BNS व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2) SC/ST Act व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह पुलिस टीम, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

जनपद– आजमगढ़ | दिनांक– 19.04.2026

अक्षय तृतीया के अवसर पर 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' के तहत व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

□बाल विवाह की रोकथाम हेतु मंदिरों एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर जन-जागरूकता अभियान चलाया गया

□आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं कानूनी प्रावधानों की दी गई विस्तृत जानकारी

आज दिनांक 19.04.2026 को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशों के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात)/नोडल अधिकारी AHT के पर्यवेक्षण में थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (AHT), जन विकास संस्थान, बाल कल्याण समिति (CWC), चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) एवं वन स्टॉप सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में शहर क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों एवं भीड़-भाड़ वाले प्रमुख स्थानों पर 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान संयुक्त टीम द्वारा आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणामों, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं भविष्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया तथा बताया गया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। नागरिकों से अपील की गई कि वे इस सामाजिक कुप्रथा के विरुद्ध सजग रहें तथा किसी भी संदिग्ध सूचना को तत्काल संबंधित हेल्पलाइन पर सूचित करें।

इसके साथ ही उपस्थित लोगों को विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई—

108 (एंबुलेंस), 112 (पुलिस), 1090 (महिला हेल्पलाइन), 1930 (साइबर हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन)।

आजमगढ़ पुलिस द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई कि वे बाल विवाह उन्मूलन में प्रशासन का सहयोग करें एवं किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल संबंधित हेल्पलाइन पर साझा करें।

कार्यक्रम में सम्मिलित अधिकारी/कर्मचारीगण–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अभय राज मिश्रा, थाना AHT, आजमगढ़
2. श्री रजनीश श्रीवास्तव, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, आजमगढ़
3. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार, थाना AHT, आजमगढ़
4. श्री संजय शाही, चाइल्ड हेल्पलाइन, आजमगढ़ मय कर्मचारीगण
5. श्रीमती ममता यादव, वन स्टॉप सेंटर, आजमगढ़ मय कर्मचारीगण
6. श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, जन विकास संस्थान, आजमगढ़ मय कर्मचारीगण
7. आरक्षी सत्यम कुमार, थाना AHT, आजमगढ़
8. म0आरक्षी अर्चना तिवारी, थाना AHT, आजमगढ़